

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)  
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING  
49, SHAMNATH MARG, DELHI-110054

Dated: the 01/05/2014

NOTIFICATION

No. F. 8(08)/2014/DAM/MR/258 . - In pursuance of the provisions of sub-section (7) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999), the following bye-laws are made and adopted by the Agricultural Produce Marketing Committee, Market of National Importance, Azadpur, Delhi and confirmed by the Director are hereby notified as under :

“BYE-LAWS”

In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) (2) and (7) of section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act 1998 (Delhi Act No.7 of 1999), the Agricultural Produce Marketing Committee, Market of National Importance, Azadpur hereby makes the following Bye-Laws further to amend the Azadpur Agricultural Produce Market Committee Bye-Laws 1980 as following, namely :-

Short title and Commencement. - (i) These Bye-Laws may be called the Azadpur Agricultural Produce Market Committee (Amendment) Bye-Laws, 2014.

(ii) They shall come into force at once.

Amendment of Bye-Law No. 17. - In the Azadpur Agricultural Produce Market Committee Bye-Laws 1980, in Bye-Laws 17 a proviso, shall be added in the end as following, namely:-  
“Provided that the Marketing Committee may grant administrative approval and expenditure sanction for amount upto rupees thirty lacs.”



(V. P. RAO)  
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)  
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F.8 (08)/2014/DAM/MR/259-271  
Copy to:-

Dated: 01/05/2014

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Principal Secretary (Development), Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
5. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
6. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
7. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
8. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Delhi and Flower Marketing Committee, Delhi.
9. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi
10. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
11. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi
12. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
13. Guard file.



(V. P. RAO)  
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)  
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

कृषि विपणन निदेशालय

(विकास विभाग)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक : 01/05/2014

### अधिसूचना

सं0फा0 8(08)/2014/डी.ए.एम./एम.आर./258 - दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 118 की उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसरण में कृषि उत्पाद विपणन समिति, राष्ट्रीय महत्व की मंडी, आजाद पुर, दिल्ली द्वारा निर्मित और स्वीकृत तथा निदेशक द्वारा पुष्टिकृत निम्नलिखित उप-विधियाँ एतद्वारा अधिसूचित की जाती हैं :-

### उपविधियाँ

दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) की धारा 118 की उपधारा (1) (2) व (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पाद विपणन समिति, राष्ट्रीय महत्व की मंडी, आजादपुर, कृषि विपणन समिति उपविधियाँ, 1980 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित उपविधियाँ बनाती है, अर्थात् :-

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

(1) ये उपविधियाँ कृषि उत्पाद विपणन समिति, आजादपुर (संशोधन) उपविधियाँ, 2014 कही जायें ।

(2) ये तत्काल लागू होंगी ।

उपविधि संख्या - 17 का संशोधन :-

कृषि उत्पाद विपणन समिति उपविधियाँ, 1980 की उपविधि 17 के अन्त में निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"उपबंध है कि विपणन समिति तीस लाख रुपये तक की राशि का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान कर सकती है।"

( वी. पी. राव )

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं. एफ 8(08)/2014/डी.ए.एम./एम.आर./259-271  
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 01/05/2014

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 4 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 5 विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 6 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 7 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति)।
- 8 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, बाग दीवार/मोरी गेट एवम् पुष्प विपणन समिति, महरौली, दिल्ली।
- 9 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 10 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 11 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 12 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 13 गार्ड फाईल।



( वी. पी. राव )

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार